तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए/3409/2004/झुझुंनू बलवन्तराम बनाम कुनणीदेवी	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित
श्री सुरजनलाल मीणा, अधिवक्ता, प्रार्थी
श्री भींयाराम चौधरी, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 30.05.2019

प्रार्थी ने यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–05–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

आलोच्य आदेशानुसार उपखण्ड अधिकारी ने प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सिविल प्रक्रिया संहिता का खारिज किया है।

हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

योग्य अधिवक्ता प्रार्थी ने निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम एवं विधि के विपरीत होने से निरस्तनीय है। उनका कथन है कि प्रार्थी द्वारा भी विवादित आराजी बाबत् घोषणा का वाद प्रस्तुत कर रखा है, इसी प्रकार वादीगण अप्रार्थीगण ने भी विवादित आराजी बाबत् मूल वाद प्रस्तुत कर रखा है। उनका कथन है कि दोनों

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए/3409/2004/झुंझुंनू बलवन्तराम बनाम कुनणीदेवी	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पक्षकार एक ही परिवार के सदस्य होकर विवादित भूमि बाबत् पृथक–पृथक वाद प्रस्तुत कर रखे है, जिस पर प्रार्थी पीढियों से काबिज काश्त है। उनका कथन है कि वादीगण प्रार्थीगण ने सरकार को पक्षकार बनाते हुए वाद प्रस्तुत किया है, जिसमें प्रार्थी का स्वत्व व हित निहित होने से आवश्यक एवं हितबद्ध पक्षकार होने के आधार पर विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी के रूप में पक्षकार बनाये जाने की प्रार्थना की गयी, जिसे विचारण न्यायालय द्वारा निगराधीन आदेश से खारिज करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार कर निगराधीन आदेश को निरस्त किया जावे तथा प्रार्थी की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जाप्ता दीवानी को स्वीकार किया जाकर पक्षकार संयोजित किये जाने के आदेश पारित किये जावे। योग्य अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित आराजी पर उनके पक्षकार के पूर्वजों की भूमि है, जिस पर वे काबिज काश्त है। उनका कथन है कि प्रार्थी का विवादित आराजी से कोई सम्बन्ध नहीं है, ना ही विवादित आराजी पर काबिज काश्त है। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय द्वारा विधिसम्मत् निर्णय से पक्षकार बनाये जाने के प्रार्थनापत्र को खारिज किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज किया जावे। हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए/3409/2004/झुझुंनू बलवन्तराम बनाम कुनणीदेवी	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं पारित निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष वादीगण अप्रार्थीगण ने विवादित आराजी बाबत् इश्तकरार हक, दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रतिवादी अप्रार्थी राजस्थान सरकार के विरूद्ध प्रस्तुत किया। उक्त वाद के विचाराधीन रहते प्रार्थी की ओर से प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि विवादित आराजी बाबत् प्रार्थनापत्र प्रस्तुतकर्ता प्रार्थी की ओर से भी घोषणा का वाद प्रस्तुत कर रखा है तथा विवादित आराजी प्रार्थी की पुश्तैनी भूमि होने का कथन करते हुए लम्बित वाद में पक्षकार संयोजित किये जाने की प्रार्थना की गयी। विचारण न्यायालय ने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र को इस आधार पर खारिज कर दिया कि प्रार्थी किस हैसियत से पक्षकार बनना चाहता है, स्पष्ट नहीं किया गया है, ना ही कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की गयी है। साथ ही आवेदनपत्र के साथ शपथपत्र प्रस्तुत किया है, पक्षकार बनाये जाने के प्रार्थनापत्र को खारिज कर दिया। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी ने विचारण न्यायालय के समक्ष पक्षकार बनाये जाने के प्रार्थनापत्र के साथ कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी, जिससे विवादित आराजी को प्रार्थनापत्र में वर्णित अनुसार प्रार्थनापत्र प्रस्तुतकर्ता प्रार्थी की पुश्तैनी भूमि होना माना जा सके। जहां तक इसी विवादित आराजी बाबत् प्रार्थी की ओर से घोषणा का वाद प्रस्तुत किये जाने का प्रश्न है, प्रार्थी विचारण न्यायालय के समक्ष दोनों दावों की सुनवाई एक साथ किये जाने का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर सकता है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में विचारण	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए/3409/2004/झुंझुंनू बलवन्तराम बनाम कुनणीदेवी	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	न्यायालय द्वारा विधिसम्मत् आदेश से पक्षकार बनाये जाने के प्रार्थनापत्र को खारिज किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई तात्विक अनियमितता अथवा अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है। परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा विचारण न्यायालय द्वारा पारित निगराधीन निर्णय को यथावत रखा जाता है। निर्णय प्रति के साथ विचारण न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(मोहन लाल नेहरा)** **सदस्य**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए/3409/2004/झुझुंनू बलवन्तराम बनाम कुनणीदेवी	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए